

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/2019/1132

दिनांक:- 22/1/19

आदेश

आवासीय अभियन्ता खण्ड-द्वितीय जोधपुर द्वारा प्रस्तावित कुडी भगतासनी योजना फेज 1 सेक्टर 9 व विवेक विहार योजना सेक्टर 11 जोधपुर के अधिशेष 538 आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के फ्लैटों को उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम जोधपुर एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वितीय जोधपुर द्वारा की गई अनुशंषा एवं निर्देशानुसार खुली नीलामी के माध्यम से निस्तारण की स्वीकृति एदद द्वारा प्रदान की जाती है।

निस्तारण किये जाने वाले अधिशेष 538 आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के फ्लैटों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	योजना का नाम	आय वर्ग	फ्लैट नम्बर	फ्लैटों की कुल संख्या
1	कुडी भगतासनी योजना फेज-प्रथम सेक्टर 9	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	9-B-3,5,7,10,11,14,15,16,18,19,22,28,29,34,36,37,40,41,45,46,48,50,57,62	24
			9-C-1,2,3,6,7,10,13,14,17,19,20,21,27,29,31,34,35,36,38,44,49,50,54,61	24
2	विवेक विहार योजना सेक्टर 11 जोधपुर	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	11-A-67,68,71,73,74,76,77,81,82,83,84,85,87,90,92,93,94,95,98,99,101,102,106,108,110,111	26
			11-B-66,67,68,69,72,74,75,76,80,81,85,91,93,94,95,97,99,100,101,103,104,105,106,109	24
			11-C-1,2,7,8,10,11,12,14,15,16,17,21,23,26,27,29,30,31,34,39,40,44,47,48,49,52,57,59,60,63,64	31
			11-D-2,4,5,11,12,13,14,18,19,21,25,26,27,29,30,31,35,37,38,42,43,44,49,50,51,54,55,59,62,65,68,69,70,71,72,75,78,80,82,86,87,88,90,91,93,94,95	47
			11-E-2,4,6,7,10,11,12,13,14,15,18,20,22,23,25,26,28,32,36,38,39,40,41,43,45,46,47,49,52,53,56,58,59,60,61,63,68,69,73,74,76,78,80,81,84,85,86,87,88,89,90,91,94	53
3	विवेक विहार योजना सेक्टर 11 जोधपुर	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	11-G-2,7,13,14,15,17,19,21,24,27,30,33,36,39,42,43,44,46,51,52,53,54,57,58,59,60,62,63	28
			11-J-1,2,7,12,14,15,18,20,23,26,28,33,34,35,36,37,38,40,41,43,44	21
4	कुडी भगतासनी योजना फेज-प्रथम सेक्टर 9	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	9-B-2,4,6,9,17,21,25,27,38,39,42,43,44,47,61	15
			9-C-8,15,22,23,24,25,28,32,37,41,43,47,57,58,62	15
5	विवेक विहार योजना सेक्टर 11 जोधपुर	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	11-A-33,34,36,37,38,40,42,43,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63	23

			11-B-2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,18,21,22,23,26,27,29,30,31,32,33 34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,45,46 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58, 59,61,62,63,64	54
			11-A-69,78,79,80,86,88,96,97,100,105 112	11
			11-B-78,79,86,89,92,111,112	7
			11-C-6,9,24,31,32,35,41,43,51,54,56, 58	12
			11-D-8,9,10,15,16,22,28,32,39,40,41, 58,63,77,83,92,96	17
			11-E-5,17,27,30,31,33,48,55,57,64,66, 67,70,71,96	15
			11-F-5,9,10,14,26,29,30,31,32,55,73, 76,84,94	14
			11-G-4,8,11,16,25,38,48,49,50,55,56, 61,	12
			11-J-3,6,11,13,21,22,25,29,30,31,39,42, 45,48	14
TOTAL				538

उक्त फ्लैटों का निस्तारण आदेश क्रमांक 1182 दिनांक 23.03.17 में निम्नलिखित निर्धारित शर्तों पर किया जाना सुनिश्चित किया जावे :-


1. आवासीय योजना में आवास/फ्लैट/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याची को आवास/फ्लैट आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हों लम्बित नहीं हैं।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, इस तथ्य को प्रमाणन भी किया जावे कि उस योजना में नीलामी योग्य अन्य आवासीय संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मंडल के आदेशांक राजस्व/11/2014-15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावे।
3. आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचाराधीन नहीं है। "निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।"
5. आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के प्रस्तावों के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावे।

उक्त आदेशों को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।


मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ -

1. निजी सचिव-अध्यक्ष महो./आवासन आयुक्त महो., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय/सचिव/वितीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, रा0आ0म0, जोधपुर
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, रा0आ0म0 जोधपुर।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड-द्वितीय, रा0आ0म0 जोधपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी सम्बन्धित को मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, राज0 आ0 मण्डल, जयपुर।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर
11. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबन्धक